


27.02.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रवाली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी अधिवक्ता को पूर्व पेशी दिनांक 12.12.2024 को अंतिम अवसर दिया गया था। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असातन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

